न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नामः महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्याः 106 / 2022
निर्णय दिनांकः 12.01.2024

1. ललित कुमार पुत्र रामपाल जाति ब्राहम्ण
2. मोहनलाल पुत्र रामपाल जाति ब्राहम्ण
3. रामसहाय पुत्र रामपाल जाति ब्राहम्ण
4. रामलाल पुत्र रामपाल जाति ब्राहम्ण

निवासीगण बानिया वाली ढाणी, ग्राम पोस्ट लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र रामपाल जाति ब्राहम्ण निवासी बानिया वाली ढाणी, ग्राम पोस्ट लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर पता– तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना–पत्र बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी</u>
<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

निर्णय

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या एक की एकल खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 282 / 1 रकबा 0.0800 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 288 रकबा 0.3000 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.3800 हैक्टेयर वाके ग्राम लूनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थी संख्या दो की एकल खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 292 रकबा 0.9700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 412 / 1 रकबा 0.1000 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.0700 हैक्टेयर वाके ग्राम लूनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थी संख्या तीन की एकल खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 285 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 286 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 287 / 1 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 288 / 1 रकबा 0.0900 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.7400 हैक्टेयर वाके ग्राम लूनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है। प्र[illegible] चार की एकल खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 281 [illegible] नम्बर 282 रकबा 0.2500 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल [illegible] ग्राम लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। उपरोक्त व[illegible] नम्बर एक लगायत चार में वर्णित सम्पति के प्रार्थीगण अपनी–अपनी खातेदारी भूमि के अनुसार एकमात्र खातेदार काश्तकार है। उक्त वर्णित कृषि भूमि का सीमाज्ञान

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:55:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

दिनांक 20.06.2022 को श्रीमान तहसीलदार जी तहसील सांगानेर के आदेश क्रमांक/भू.अ./2022/660–663 दिनांक 15.06.2022 की पालना में हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर किया जा चुका है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पडौसी काश्तकार है तथा अप्रार्थी संख्या। आये दिन उक्त कृषि भूमि की सीमा पर विवाद करते है, प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि की सीमा पर नाजायज रूप से सीमा विवाद उत्पन्न मौके पर अशांति फैलाते है, इस कारण प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना कानूनन आवश्यक एंव उचित है। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात पर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहते है जिसमे वह अपनी आराजीयात के चारों तरफ तारबन्दी/पुख्ता बाउण्डरी आदि कर अपनी आराजीयात को सुरक्षित कर सके तथा भविष्य में सीमाज्ञान के लिए पडौसी काश्तकार से किसी प्रकार का विवाद नही हो, मौके पर शांति कायम हो सकें, इसलिए सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना न्यायाहित में आवश्यक एंव उचित है। अतः प्रार्थना स्वीकार कर प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 282/1 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 288 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 292 रकबा 0.9700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 412/1 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 285 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 286 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 287/1 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 288/1 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 281 रकबा 0.8300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 282 रकबा 0.2500 हैक्टेयर वाके ग्राम लूनियावास, पटवार हल्का लूनियावास, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लूनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश अप्रार्थी संख्या दो को फरमाने जाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी कर तलब किया गया। दिनांक 22.09.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री राजबिहारी शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 10.02.2023 को अप्रार्थी संख्या एक की ओर जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने पर जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर बन्द किया गया। दिनांक 11.01.2024 को अप्रार्थी संख्या एक की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।

बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 282/1, 288, 292, 412/1, [illegible] 286, 287/[illegible] 288/1, 281, 282 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थीगण [illegible] अपनी आराजी कृषि भूमि को सुरक्षित रखना उनका विधिक अधिकार है। प्रार्थीगण [illegible] खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहा है जिसका [illegible] प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal S
Date: 2024.02.07 15:55:35 IS
Reason: SelfAttested

का सीमाज्ञान करवाया है और उसी सीमाज्ञान की फर्द मौका रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी करवाना चाहा है जो विधि अनुकूल एवं न्यायोचित है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 282/1 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 288 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 292 रकबा 0.9700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 412/1 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 285 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 286 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 287/1 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 288/1 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 281 रकबा 0.8300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 282 रकबा 0.2500 हैक्टेयर वाके ग्राम लूनियावास, पटवार हल्का लूनियावास, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र लूनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की फर्द मौका सीमाज्ञान–रिपोर्ट आदेश दिनांक 20.06.2022 के अनुसार के अनुसार जरिये पुलिस इमदाद स्थाई सीमाचिन्ह कायम किये जाकर पत्थरगढी करें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सांगानेर को जारी हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
(सांगानेर),
जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:55:35 IST
Reason: SelfAttested